भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

अदालतों में लंबित मामलों का बैकलॉग

2194 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों हेतु विशेष अदालतों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु आवश्यकता से कम संसाधन हैं जिनकी वजह से मामलों की सुनवाई में दिक्कतें आ रही हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में स्थापित की गई विशेष अदालतों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : विशेष न्यायालय भारत में न्यायिक निकाय हैं, जो विनिर्दिष्ट प्रकार के मामले, जिनमें अक्सर जटिल मुद्दे अंतर्वलित होते हैं, की कार्यवाहियों को त्वरित करने हेतु स्थापित किए गए हैं। ये न्यायालय विभिन्न विधियों/कानूनों के अधीन स्थापित किए गए हैं तथा नियमित न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ परिचालन करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है, जिसके लिए उनकी प्रकृति के कारण विशेषीकृत ज्ञान और रख-रखाव अपेक्षित है। विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा कार्यकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के, उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से, उनकी आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, प्रभाव क्षेत्र में आता है।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय भी हैं, की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान

रिट (दंड) सं. 01/2019], का अनुसरण करते हुए अक्तूबर, 2019 में आरंभ की गई थी। ये न्यायालय, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध विचारण तथा निपटान के लिए समर्पित हैं। 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए स्कीम को दो बार, 31 मार्च, 2026 तक के नवीनतम विस्तारण के साथ विस्तारित किया जा चुका है। स्कीम के अधीन वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए है, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपए केंद्रीय भाग के रूप में सीएसएस पैटर्न पर निर्भया निधि में से उपगत किया जाना है।

30.06.2025 से, 29 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 725 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 392 अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय कार्यात्मक हैं, जिन्होंने स्कीम के आरंभ से 3,34,213 मामलों का निपटान किया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

मामले की सुनवाई में कठिनाईयों के संबंध में, समयोचित मामलों के निपटान में विभिन्न कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी तथा वादी और नियमों तथा प्रक्रियाओं की उचित प्रयोज्यता भी आते हैं। अन्य कारक, जो मामलों के निपटान में विलम्ब पैदा करते हैं, के अंतर्गत निरंतर स्थगन तथा सुनवाई के लिए मॉनीटरी, ट्रैक और समूह में मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी भी हैं।

****

उपाबंध-1

30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यात्मक न्यायालय	
		एफटीएससी सहित अनन्य रूप से पोक्सो	अनन्य रूप से पोक्सो
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	18	14
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू-कश्मीर	4	2
12	कर्नाटक	30	17
13	केरल	55	14
14	मध्य प्रदेश	67	56
15	महाराष्ट्र	2	1
16	मणिपुर	2	0
17	मेघालय	5	5
18	मिजोरम	3	1
19	नागालैंड	1	0
20	ओडिशा	44	23
21	पुदुचेरी	1	1
22	पंजाब	12	3
23	राजस्थान	45	30
24	तमिलनाडु	14	14
25	तेलंगाना	36	0
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	4	0
28	उत्तर प्रदेश	218	74
29	पश्चिमी बंगाल	8	8
30	झारखंड*	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश***	0	0
	योग	**725**	**392**

टिप्पण: स्कीम के प्रारंभ पर, देश भर में एफटीएससी का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिससे अभिप्रेत है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी स्थापित होगा। उस पर आधारित होते हुए केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र थे।

* तारीख 07.07.2025 के पत्र द्वारा झारखंड राज्य ने एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह ने स्कीम में शामिल होने की सहमति दी है, किंतु अभी तक कोई न्यायालय परिचालन में नहीं है।

*** अरूणाचल प्रदेश ने बलात्संग तथा पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के बहुत कम संख्या में होने का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

****